न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

उनाराम पुत्र गजाजी घांची, जाति- घांची, निवासी- गुलाबगंज, तह. रेवदर, जिला-सिरोही

अप्रार्थी **बनाम**

1. ग्राम पंचायत, गुलाबगंज जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, गुलाबगंज, तह. रेवदर
2. रमेश कुमार पुत्र उनारामजी, जाति-घांची, निवासी-गुलाबगंज, तह. रेवदर हाल निवासी- दक्षा ड्राई फ्रूट एण्ड स्पाईस, समीर-पूना (महाराष्ट्र)

पंचायत निगरानी संख्याः 28/2021

"निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे, प्रार्थी निगरानीकर्ता की ओर से

-: **निर्णय** :- **दिनांक 06 अक्टूबर, 2021**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, गुलाबगंज द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध जारी नोटिस क्रमांकःस्पेशल-1 दिनांक 16.1.2021 को निरस्त कराने हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को जारी नोटिस प्रार्थी के खर्च से पंजीकृत डाक से प्रेषित किये गये, उस पंजीकृत डाक की तामिल अप्रार्थीगण को हो चुकी है। इस प्रकार, प्रकरण में अप्रार्थीगण को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण इस न्यायालय में उपस्थित नही हुये एवं न ही अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

(3) प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री दवे ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी का पुश्तैनी मकान ग्राम गुलाबगंज में आया हुआ है। प्रार्थी के पिता गजाजी के चार पुत्र थे जिसमें दो पुत्रों, प्रार्थी व खीमाजी के गांव में मकान मय भूखण्ड भाई बंट में आया तथा दो भाईयों पोसाजी व मंशाजी के गांव के बाहर भूखण्ड आये। जिसमें से पोसाजी व मंछाजी ने अपने हिस्से में आये सम्पति (भूखण्डों) पर अपने मकान बनाये तथा गांव वाले मकान के आधे हिस्से पर खीमजी ने अपना मकान बनाया है तथा आधे हिस्से पर प्रार्थी अपना मकान निर्माण करवा रहा है। प्रार्थी के मकान निर्माण में अप्रार्थी संख्या-2, जो कि प्रार्थी का पुत्र है, उसने ग्राम पंचायत में आपत्ति दर्ज करवाई कि निर्माण करने से प्रार्थी को रोका जावे। प्रार्थी [illegible] की आपत्ति पर ग्राम पंचायत,

.....पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:51:23 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर ★ सिरोही (राज०) ★

गुलाबगंज ने प्रार्थी को उक्त नोटिस दिनांक 16.1.2021 को प्रेषित किया। प्रार्थी बाहर गांव था इसलिये प्रार्थी ने गुलाबगंज आने पर उक्त नोटिस का जवाब ग्राम पंचायत को दिनांक 06.3.2021 को दिया। ग्राम पंचायत में प्रार्थी द्वारा नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने के बाद पंचायत द्वारा निर्माण की अनुमति नही दी जा रही है। प्रार्थी द्वारा भाई बंट में अपने हिस्से आये भूखण्ड पर मकान का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें अप्रार्थी संख्या-2 की आपत्ति पर पंचायत को प्रार्थी के निर्माण कार्य में अवरोध उत्पन्न करने का कोई अधिकार नही है। विवादित भूखण्ड के स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद नही है, विवादित भूखण्ड भाई बंटवाड में प्रार्थी के हिस्से में आया है। कानूनन ग्राम पंचायत को प्रार्थी के पुत्र की आपत्ति पर नोटिस जारी करने का कोई अधिकार नही है तथा न ही अप्रार्थी संख्या-2 को प्रार्थी के स्वामित्व की सम्पति में आपत्ति करने का अधिकार है। अत: प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, गुलाबगंज द्वारा जारी नोटिस दिनांक 16.1.2021 को निरस्त किया जावे।

(3) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, गुलाबगंज द्वारा प्रार्थी उनाराम पुत्र गजाजी चांची, निवासी- गुलाबगंज को नोटिस क्रमांक: स्पेशल-1 दिनांक 16.1.2021 को इस आशय का जारी किया गया है कि ''आपके पुत्र रमेश कुमार ने ग्राम पंचायत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आप द्वारा ग्राम पंचायत, गुलाबगंज की अनुमति के बिना मकान निर्माण कार्य किया जा रहा है। पूर्व में भी ग्राम पंचायत, गुलाबगंज द्वारा मकान निर्माण कार्य रोकने हेतु आपको नोटिस दिया गया था। इस नोटिस के जरिये यह हिदायत दी जाती है कि ग्राम पंचायत गुलाबगंज कि निर्माण की अनुमति के बाद ही निर्माण कार्य शुरु करे। साथ ही आप अपने भाईयों एवं पुत्रों की सहमति पत्र पेश करे।''

प्रकरण में ग्राम पंचायत, गुलाबगंज द्वारा जारी उक्त नोटिस दिनांक 16.1.2021 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत, गुलाबगंज से निर्माण कार्य करने की अनुमति प्राप्त किये बिना ही निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जो विधि अनुरुप नही है। यह भी उल्लेखनीय है कि यदि प्रार्थी उनाराम द्वारा भाई बंट में अपने हिस्से आये भूखण्ड पर निर्माण कार्य करवाया जाता है तो उसमें प्रार्थी के पुत्र को आपत्ति करने का भी अधिकार नही है। भाईयों व पुत्रों की सहमति की आवश्यकता उस समय होती है, जब संयुक्त स्वामित्व की सम्पति का आपस में बंटवाड नही हुआ हो। प्रार्थी पक्ष का यह कथन भी है कि उक्त नोटिस का ग्राम पंचायत, गुलाबगंज में जवाब प्रस्तुत किया गया, लेकिन ग्राम पंचायत, गुलाबगंज द्वारा निर्माण की अनुमति प्रदान नही की जा रही है।

अत: प्रार्थी का निगरानी आवेदन आंशिक रुप से स्वीकार किया जाकर प्रकरण ग्राम पंचायत, गुलाबगंज को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थी को सुनकर ग्राम पंचायत में प्राप्त आपत्ति का निस्तारण करते हुए विधि सम्मत कार्यवाही करे। निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:51:23 IST
Reason: SelfAttested

(के.आर.खोड)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही